

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति - राज्य योजना के अंतर्गत जमपद - पौड़ी गढ़वाल के किसानों का क्षेत्र जो वन विभाग के विकास एवं वन संरक्षण के अंतर्गत आता है।
 (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र - उत्तराखण्ड

(ii) जिला - पौड़ी गढ़वाल

(iii) जिला वन प्रभाग - गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - 0.990 हे०

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति: सिविल सोमम भूमि = 0.990 हे०

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार - सिविल

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.2

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - प्रस्ताव में संलग्न पाठ्य - 19 के अनुसार जोड़ भाग निम्नलिखित प्रस्तावित सिविल सोमम भूमि में चीड़ एवं बाँझ प्रजाति के विभिन्न कोस का कुल = 39 वृक्ष प्रस्तावित नाप भूमि में चीड़ एवं बाँझ प्रजाति के कुल = 15 वृक्ष प्रभावित होंगे, इस प्रकार सिविल सोमम भूमि तथा नाप भूमि के कुल = 44 वृक्ष प्रभावित होंगे।

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - जोड़ भाग निम्नलिखित है।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी: प्रस्ताव के पाठ्य - 33 में भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न है।

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: 4.5 किमी. लगभग।

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता:

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: सुतला, घुस, काकड़, जंगली सूअर आदि वन्य जीव विद्यमान हैं।

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहीं।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) नहीं।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे :- नहीं।

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) :- नहीं।

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हां

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। -

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :-

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) नहीं।

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही -

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) नहीं।

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :-

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। लागू नहीं।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। लागू नहीं।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। लागू नहीं।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं) :-

6

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :-

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। हां नहीं

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। हां (पृष्ठ - 7)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें :- क्षतिपूरक में संतुष्टि की जाती है।

(लेखक/सिंहसब)
उप वन संरक्षक
पड़वाल वन प्रभाग, पोड़ी

स्थान: पोड़ी (गढ़वाल)

तारीख: 12-11-2019

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा